

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- २४७/२२

तारीख २९/११/२२

भुरा पुत्र भीमा जाति बंजारा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गोरधनपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

### बनाम

01. गोविन्द पुत्र कैला जाति बंजारा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गोरधनपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. श्रवण पुत्र भीमा जाति बंजारा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गोरधनपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. विजयसिंह पुत्र कैला जाति बंजारा उम्र वयस्क पेशा कृ.पे. निवासी गोरधनपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. सुगनादेवी पत्नि राधेश्याम जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सलावटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

—: आदेश :-

दिनांक: ३१/३/२३

प्रार्थना पत्र भुरा पुत्र भीमा जाति बंजारा निवासी गोरधनपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा चैनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 108 पर अंकित आराजी संख्या 507/1 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 109 पर अंकित आराजी संख्या 592/2 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाँ कलां को पत्थरगढ़ी बाबत् कमीश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस 500/- रुपये तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा चैनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 108 पर अंकित आराजी संख्या 507/1 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 109 पर अंकित आराजी संख्या 592/2 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - २८७/२२

तारीख २९/११/२२

प्रेषित :-

तहसीलदार  
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या २८७ / २०२२ पत्थरगढी बाबत।

भुरा पुत्र भीमा जाति बंजारा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गोरधनपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

## बनाम

01. गोविन्द पुत्र कैला जाति बंजारा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गोरधनपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. श्रवण पुत्र भीमा जाति बंजारा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गोरधनपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. विजयसिंह पुत्र कैला जाति बंजारा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गोरधनपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. सुगनादेवी पत्नी राधेश्याम जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सलावटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा चैनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 108 पर अंकित आराजी संख्या 507/1 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 109 पर अंकित आराजी संख्या 592/2 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षकर बिजौलियाँ कलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस 500/- तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसियान को सूचित करते हुए पत्थरगढी करें।



पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा  
बिजौलियाँ